



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022023-243415
CG-DL-E-03022023-243415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]
No. 546]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2023/माघ 14, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2023/MAGHA 14, 1944

खान मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

का.आ. 575(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए, झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची को अधिसूचित करती है कि झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची, संबंधित राज्य सरकार को अपने द्वारा किए गए पूर्वोक्त प्रचालनों के संबंध में सृजित डेटा उपलब्ध कराएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. खान VI-16/7/2023-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डर्मल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2023

S.O. 575(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the Jharkhand Exploration and Mining Corporation Limited, Ranchi for the purposes of the said proviso subject to the condition that the Jharkhand Exploration and Mining Corporation Limited, Ranchi shall make available the data generated in respect of the prospecting operations undertaken by it to the concerned State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M.VI-16/7/2023-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.